न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 563/2022

वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. सुखदेव सिंह पुत्र सजन सिंह
2. तेजा सिंह पुत्र सजन सिंह
3. जसविन्दर कौर पत्नी सुखदेव सिंह
4. लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
5. हरविन्द्र कौर पत्नी तेजा सिंह
6. तरनवीर सिंह पुत्र तेजा सिंह

} जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. सतपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह
2. जगसीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह
3. सुखपाल कौर पुत्री दर्शन सिंह
4. कर्मजीत कौर पत्नी दर्शन सिंह

} जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी शाखा संगरिया
6. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरिपुरा
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण
2. श्री मनीराम सहू – वकील प्रतिवादीगण 1,2 व 4
3. श्री सजय साहीवाल –वकील प्रतिवादी स 6

निर्णय **दिनांक :–**

वादीगण सुखदेव सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं तक्सीम खाता के तहत दिनांक 04.11.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि चक नं. 5 डीएनजी खाता सं. 38/9 जं.सं. 2070–2073 में वादीगण सं. 1 व 2 के नाम 1.897 है. वादीगण सं. 3 व 5 के नाम 2.024 है व वादी सं. 4 व 5 के नाम 3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की सयुक्त परिवार की विरासतन प्राप्त भूमि हैं।यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि जो वादीगण व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी अनुसार घरू–विभाजन कर लिया था मुताबिक घरू–विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के कोई विवाद नहीं किन्तु रकबा साझा व अपवादित में होने के कारण सीववट व रकम राज को लेकर विवाद बना रहता है। तथा खाता अपवादित होने के कारण खाता लॉक हो गया है। इसलिए वादीगण मुताबिक घरूविभाजन अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण को निम्न भूमि आई है।

2023 (SDO) दिनांक 16

(क) वादी सं. 1 व 2 सुखदेव सिंह व तेजा सिंह का 1.893 है. वादी सं. 3 जसविन्दर कौर व वादी सं. 5 हरविन्द्र कौर का 2.024 है. वादी सं. 4 लखविन्द्रसिंह व वादी सं. 6 तरनवीर सिंह का 3.036 है. हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 38/9

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
182/139	55	23/0.253है.प्रं.
183/139	56	16/1/0.228है.,16/2/0.025है.,17 ता 24/0.253है.प्रं.
,		25/1/0.228है.,25/2/0.025है.
183/140	60	1 ता 3, 9 ता 11/0.253है.प्रं.
182/140	61	2,3,8,9/0.253है.प्रं.,12/0.038है.,13,14/0.253है.प्रं., 15/1/0.215है.,15/2/0.038है.,16/1/0.228है., 16/2/0.025है.,17,18/0.253है.प्रं.,25/2/0.0710है., 25/4/0.013है.
		कुल 6.953है.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ता 4 सतपाल सिंह ,जगसीर सिंह ,सुखपाल कौर ,कर्मजीत कौर का बहिब हक व हिस्सा की भूमि :–

चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 38/9

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
183/139	56	6/1/0.228है.,6/2/0.025है.,7 ता 13/0.253है.प्रं., 14/1/0.126है.
182/139	55	21/0.253है.
181/140	62	15/0.253है.
182/140	61	1,10,11/0.253है.प्रं.,12/0.215है.
		कुल 3.630है.

कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है।कि प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पक्ष में रकबा रहन होने के कारण व प्रतिवादी सं. 7 को लैण्ड होल्डर होने के पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 3 व 5 द्वारा हाजिर अदालत ना आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई। प्रतिवादी स 1,2 व 4 जरिये अधिवक्ता सहमती का जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी स 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 7 जवाब दावा पेश किया जो शमिल पत्रावली किया गया दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य में वादी स 1 ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा चक नं. 5 डी.एन.जी के खाता सं. 38/9 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम कि जावे प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी स 1 ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 2व 4 का सहमती का जवाब दावा पेश हुआ। इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी स 1,2 व 4 उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाती है।

उक्त खाता से पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(SDO) 2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

(अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 563/2022

वाद पत्र अं.धारा :– 88/53 आर.टी.ए

1. सुखदेव सिंह पुत्र सजन सिंह
2. तेजा सिंह पुत्र सजन सिंह
3. जसविन्दर कौर पत्नी सुखदेव सिंह
4. लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
5. हरविन्द्र कौर पत्नी तेजा सिंह
6. तरनवीर सिंह पुत्र तेजा सिंह

जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. सतपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह
2. जगसीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह
3. सुखपाल कौर पुत्री दर्शन सिंह
4. कर्मजीत कौर पत्नी दर्शन सिंह

जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी शाखा संगरिया
6. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरिपुरा
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– /0 /2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीगण व श्री मनीराम सहू वकील प्रतीवादी स 1,2 व 4 ,सजय साहेवाल वकील प्रतिवादी स 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है –

(क) वादी सं. 1 व 2 सुखदेव सिंह व तेजा सिंह का 1.893 है. वादी सं. 3 जसविन्दर कौर व वादी सं. 5 हरविन्द्र कौर का 2.024 है. वादी सं. 4 लखविन्द्रसिंह व वादी सं. 6 तरनवीर सिंह का 3.036 है. हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 38/9

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
182/139	55	23/0.253है.
183/139	56	16/1/0.228है.,16/2/0.025है.,17 ता 24/0.253है.प्रं., 25/1/0.228है.,25/2/0.025है.

प्रशासन गांवों के संग अभियान ... शिविर प्रभारी (SDO) शिविर स्थल... दीनगढ़ 2023

183/140	60	1 ता 3, 9 ता 11/0.253है.प्रं.
182/140	61	2,3,8,9/0.253है.प्रं.,12/0.038है.,13,14/0.253है.प्रं., 15/1/0.215है.,15/2/0.038है.,16/1/0.228है., 16/2/0.025है.,17,18/0.253है.प्रं.,25/2/0.0710है., 25/4/0.013है.

कुल 6.953है.

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ता 4 सतपाल सिंह ,जगसीर सिंह ,सुखपाल कौर ,कर्मजीत कौर का बहिब हक व हिस्सा की भूमि :–

चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 38/9

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
183/139	56	6/1/0.228है.,6/2/0.025है., 7 ता 13/0.253है.प्रं., 14/1/0.126है.
182/139	55	21/0.253है.
181/140	62	15/0.253है.
182/140	61	1,10,11/0.253है.प्रं.,12/0.215है.

कुल 3.630है.

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण यथावत रखा जावे।

निज............नल................मुब्लिक............निल....................बाबत..........निल........... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...................... जारी किया गया।

26/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

शिविर स्थल... दीनगढ़ 2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official